भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 616

गुरूवार, 4 दिसम्बर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश में तटीय पर्यटन का विकास

616 श्री मस्तान राव यादव बीडा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में नए तटीय पर्यटन सर्किट विकसित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नेल्लूर-तडा-पुलिकट तटीय विस्तार में पारिस्थितिक पर्यटन (इको-टूरिज़्म) के विकास के लिए विचार किया गया है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता संबंधित योजना के तहत परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर और उक्त योजना के दिशा-निर्देशों के साथ तालमेल एवं निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर प्रदान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया है एवं देश में 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, मंत्रालय ने देश में एसडी 2.0 योजना की एक उप-योजना - 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' के तहत 36 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एसडी 2.0 और सीबीडीडी नामक पहलों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

योजना	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
स्वदेश दर्शन 2.0	सूर्यलंका बीच अनुभव का विकास	2024-25	97.52
स्वदेश दर्शन 2.0	अराकू में बोर्रा केव अनुभव	2023-24	29.88
सीबीडीडी	अहोबिलम-एक आध्यात्मिक ओडिसी	2024-25	25.00
सीबीडीडी	नागार्जुनसागर में बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक अनुभवों को समृद्ध करना	2024-25	25.00

*****